खण्ड 10 संख्या 25

बिहार विधान-सभा

(भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 29 जुलाई, 1983 ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा-सचिव द्वारा विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश पढ़ा जाना	1-2
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति सम्बन्धी संकल्प [प्रस्तुत नहीं किया गया]	2
सरकारी विधेयक : बिहार वन उपज (व्यापार-विनियमन) विधेयक, 1983 (प्रवर समिति को समर्पित)	2-3
बिहार विधान परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983 : (स्वीकृत) ।	3—9 9—11
प्रवर समिति के लिये सदस्यों का मनोनयन सम्बन्धी प्रस्ताव : (स्वीकृत) :	
बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक, 1983 : (स्वीकृत) :	11— 17
सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श : ईख उत्पादकों की समस्या : (समाप्त)	17— 37
शून्य-काल की चर्चाएं :	38— 42
(क) टी० ओ० पी० के प्रभारी द्वारा अत्याचार :	
(ख) मुंगेर जिलान्तर्गत विद्युत् संकट :	
(ग) तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की छंटनी :	

अत्यावश्यक लोकमहत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण

निर्दोष पदाधिकारियों को दोषी बनाना।

बाढ नियंत्रण प्रमंडल, खगड़िया, सिंचाई विभाग के अधीन वर्ष 1981 की बाढ़ में रजौरा में किए गए कार्यों की जांच श्री के० एन० लाल, अधीक्षण अभियंता उड़नदस्ता, सिंचाई विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 30 जून, 1982 को की गयी जिसमें 13-14 लाख रुपए के भुगतान की अनियमितता पायी गई। नौ हजार एक सौ सत्ताइस रुपए बासठ पैसे मात्र का माउचर गलत नाम से श्री रमण, कनीय अभियन्ता द्वारा बनाया गया था। जो आज तक लप्त है। उस राशि के विरुद्ध मात्र 4-5 हजार रुपए के कार्य का निष्पादन हुआ। पुनः करीब पचास हजार रुपए का जाली मास्टर रोल श्री सुदर्शन सिंह, कनीय अभियन्ता, द्वारा बनाकर भुगतान दिखाया गया। श्री जगदीश सिंह, कार्यपालक अभियन्ता ने इसकी सूचना मार्च, 1982 में सरकार को दी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस गड़बड़ी के लिए रमण, श्री सुदर्शन सिंह, कनीय अभियन्ता एवं अन्य पदाधिकारीगण दोषी थे, परन्तु उन्हें दंडित करने के बजाय मनचाहे स्थानों पर स्थानान्तरण पर पुरस्कृत किया गया। वर्ष 1982 की बाढ़ में कराए गए कार्यों की पुनः जांच श्री के० एन० लाल द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को की गई जिसमें 1981 के अनियमित कार्यों के दोषी पदाधिकारियों का पक्षपात करके दोषी को बचाने के प्रयास में 1982 के कुछ पदाधिकारी को छोड़कर निर्दोष पदाधिकारियों को दोषी बनाया गया। अतः हम इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, विधान-परिषद् में एक स्पेशल डिबेट है और मा० मन्त्री श्री करमचन्द भगत को विधान-परिषद् जाना है, अतः पहले शिक्षा विभाग का ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव लिया जाय।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य

(क) शिक्षकों का वेतन भुगतान।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व संस्कृत संस्थाओं के नियन्त्रण एवं संस्कृत परीक्षाओं के संचालन के लिये बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् कायम था। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद संस्कृत महाविद्यालयों एवं प्राचीन पद्धति द्वारा संचालित संस्कृत टोल विद्यालयों का नियन्त्रण

एवं मध्यमा से लेकर आचार्य परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय के अधीन किया गया। तत्पश्चात् बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के अधीन मध्यमा स्तर तक के आधुनिक संस्कृत विद्यालयों का नियन्त्रण एवं प्रथमा परीक्षा का संचालन रह गया। सन् 1981 में मध्यमा स्तर तक की संस्कृत संस्थान के नियन्त्रण एवं विकास तथा परीक्षाओं के संचालन के निमित स्वशासी बिहार संस्कृत बोर्ड कायम किया गया। बोर्ड की स्थापना की तिथि से बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् का उन्मूलन हो गया।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संस्कृत विद्यालय को प्रस्वीकृति देने की शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं थी। वह शक्ति बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् को और बाद में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को प्रदत्त थी। फिर भी विश्वविद्यालय ने सितम्बर, 1979 और अगस्त, 1981 के बीच छिटफुट आधुनिक संस्कृत विद्यालयों की प्रस्वीकृति में अनुमोदन देने के लिये राज्य सरकार से अनुसरण किया। संस्कृत विद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के उपरान्त शिक्षा आयुक्त के पत्रांक—437, दिनांक 29 अप्रील, 1981 और पुनः पत्रांक—831, दिनांक 22 अक्टूबर, 1981 द्वारा विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक संस्कृत विद्यालय को प्रस्वीकृति देने की शक्ति विश्वविद्यालय को कभी भी प्रदत्त नहीं थी। फिर भी यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जिन विद्यालयों को प्रस्वीकृति देने की अनुशंसा की गयी है उन विद्यालयों के मामलों को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को जांच कर अनुशंसा के लिए भेज दिया जाय और बोर्ड से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् उनकी प्रस्वीकृति के मामले में निर्णय लिया जाय। तदनुसार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त 38 विद्यालयों के प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ भेजे जा चुके हैं और 13 प्रस्ताव उन्हें भेजे जा रहे हैं।

(3) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव ने अगस्त, 1981 में राज्य सरकार को सूचना दी कि बोर्ड की दिनांक 25 जुलाई, 1981 की बैठक में 237 संस्कृत विद्यालयों की सूची प्रस्वीकृति पर विचारार्थ रखी गयी थी। बोर्ड ने उक्त बैठक में प्रत्येक आवेदन पत्र के गुण-दोष पर विचार कर निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष को अधिकृत किया था। पुनः बोर्ड के सचिव ने नवम्बर, 1981 में 174 विद्यालयों की विवरणी प्रस्वीकृति में अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को भेजी। उक्त विवरणी की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति की शर्तों के आलोक में प्रत्येक विद्यालय के प्रस्ताव की जांच ठीक-ठीक नहीं की गयी है और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यादेश/अधिनियम के प्रावधान का पालन भी नहीं किया गया है। ज्ञातव्य हो कि उक्त

अध्यादेश/अधिनियम के यह प्रावधान के अनुसार बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य सरकार द्वारा विहित संख्या में संस्कृत विद्यालयों को प्रस्वीकृति दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश की धारा 23 की उपधारा (1) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के दिनांक 25 जुलाई, 1981 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जिन संस्कृत विद्यालयों को अध्यक्ष द्वारा प्रस्वीकृति दी गयी थी, उनकी प्रस्वीकृति कर दी गयी और बोर्ड को निदेश दिया गया कि वह सभी सम्बन्धित विद्यालयों को इसकी सूचना दे दें। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय एवं आदेश की सूचना प्रसारित की गयी।

(4) बोर्ड ने जनवरी-फरवरी, 1983 में कुल 237 संस्कृत विद्यालयों को प्रस्वीकृति में सरकार का अनुमोदन मांगा है। बोर्ड के प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच में यह पाया गया है कि इस बार भी बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति की शर्तों की जांच सही-सही नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त और भी कई विसंगतियां बोर्ड के प्रस्ताव में दृष्टिगत हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उन सभी 237 विद्यालयों की प्रस्वीकृति के मामले की छान-बीन करने का कार्य प्रो० दामोदर ठाकुर, भूतपूर्व शिक्षा निदेशक को सौंपा है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जिन विद्यालयों को प्रस्वीकृति देने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था उनकी जांच का भार भी प्रो० ठाकुर को सौंपा गया है।

(5) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 3500 प्रस्तावित संस्कृत संस्थाओं ने बोर्ड में निरीक्षण शुल्क जमा किया है। संस्कृत शिक्षा पहले उपेक्षित थी। सरकार ने संस्कृत संस्थाओं के प्रति उदार नीति अपनाते हुए उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान एवं महंगाई भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया। उक्त सरकारी निर्णय के बाद संस्कृत विद्यालयों की स्थापना में बाढ़ आ गयी है। माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि संस्कृत शिक्षा पद्धति आम शिक्षा का अंग नहीं है। यह वैकल्पिक शिक्षा पद्धति है। आम शिक्षा के लिए गांव-गांव विद्यालय स्थापित है। संस्कृत शिक्षा का विकास आवश्यक है। किन्तु उसका विकास ठोस एवं नियन्त्रित होना चाहिए। अराजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं अन्य अराजकीय शिक्षण संस्थाओं को प्रस्वीकृति देने और उन्हें अनुदान देने के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी नीति का पुनर्निर्धारण किया है। सरकार का यह निर्णय है कि अराजकीय शिक्षण संस्थाओं को गुण-दोष के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से प्रस्वीकृति प्रदान की जायगी। किन्तु उन संस्थाओं का पूरा व्यय-भार संस्थापक व्यक्ति

अथवा संस्था को वहन करना होगा। इस नीति के आलोक में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड/संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की जायगी।

श्री रामेश्वर सिंह—अध्यक्ष महोदय, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय को मंजूरी मिली हुई है और 1972 से 1981 तक उनके विद्यार्थी परीक्षा भी दिये हैं। लेकिन जब से यह संस्कृत शिक्षा बोर्ड बना है तब से उनके शिक्षक को वेतन भी नहीं मिला है।

श्री कर्पूरी भगत—पहले कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय उनके अधिकार में था, जब शिक्षा बोर्ड था लेकिन अब संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, इसलिये उनके द्वारा जो स्वीकृति दी गयी थी, वह गलत था।

अध्यक्ष—मंत्री का कहना है कि उनको देने का अधिकार नहीं था। अब इसके लिए श्री दामोदर ठाकुर की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी गई है, जो जांच करेगी।

श्री रामेश्वर सिंह—क्या उस जांच कमिटी में हमको भी सम्मिलित किया जायगा।

अध्यक्ष—आप उसमें कैसे रहेंगे?

श्री रामेश्वर सिंह—जरा हमारी बात सुन लें। अभी भी बोर्ड में कुछ को मंजूरी दी है।

अध्यक्ष—तो आप ऐसा कहें कि इसमें भेदभाव बरता गया है, उसकी जांच करावें और उसमें प्रश्नकर्ता सदस्य भी रहें।

श्री रामेश्वर सिंह—हां, मेरा कहने का मतलब यही है।

अध्यक्ष—ठीक है, प्रश्नकर्ता सदस्य भी जांच में रखे जायं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार किया जाय कि किस तरह की जांच में सरकारी दल के या विरोधी दल के कैसा लोग रहेंगे? क्या यह उचित होगा कि हम सदन के जो माननीय सदस्य हैं, वे सरकारी अधिकारी के नेतृत्व में जो जांच कमिटी बनेगी, उसमें हमलोग जायगें? क्या हम उनकी मौजूदगी में गवाही देने जायगें? यह इस सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों की मर्यादा के प्रतिकूल है या उचित। आप माननीय मुख्य मंत्री और हमलोगों के विचार सुनकर कोई निर्णय कर दें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह (एक किताब दिखाते हुए) आपके विधान-सभा के उपक्रम समिति के 90वां प्रतिवेदन है, जो 1982-83

का है। इसमें एक रिपोर्ट है, वह ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है और उनके खिलाफ में इस प्रतिवेदन में स्ट्रीक्चर पास किया गया है। आरोप गम्भीर है। अगर ऐसे आदमी के खिलाफ आपके यहां की कमिटी रिपोर्ट देती है तो क्या उस व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? इसलिये मेरा कहना है कि ऐसे आदमी को उस कुर्सी से हटा देना चाहिये। क्योंकि सदन की कमिटी ने उनके ऊपर चार्ज किया है।

अध्यक्ष—अभी ध्यानाकर्षण का समय है, इसलिये अभी इसको छोड़ दीजिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं भी तो सदन का ही काम कर रहा हूं। मैं क्या अपने क्षेत्र का काम कर रहा हूं? यह मेरे क्षेत्र का सवाल नहीं है, यह नीतिगत सवाल है, सिद्धान्त का सवाल है, जिसे मैं उठा रहा हूं। आपके द्वारा बनाई हुई समिति का यह प्रतिवेदन है, इसलिये मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को त्याग पत्र दे देना चाहिए।

अध्यक्ष—लिबर्टी इसी को कहते हैं, लिबर्टी का मिस-यूज यही हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट हुई है, तो यह सरकार में कौमेन्ट के लिए जायगा, कौमेन्ट में विभाग मानेगा या नहीं मानेगा, यह प्रश्न है और वह मान भी जायेगा तो यह विषय इम्प्लीमेन्टेशन कमिटी में जायगा, तब इस पर बहस होगी। जिस दिन इसके कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर बहस होगी, उस दिन इस प्वायंट को उठाइयेगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इसकी सूचना, प्रधान-मंत्री तथा राष्ट्रपति के पास दीजिए।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री मुंशीलाल राय, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार का जवाब हो।

(ख) तीन व्यक्तियों की गुण्डों द्वारा हत्या।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10 जुलाई, 1983 को वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर थाने के नेनहा बीरोपुर के एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने तथा उक्त काण्ड के प्राथमिकी में दर्ज नामजाद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किये जाने की ओर माननीय विधान-सभा सदस्य श्री मुंशीलाल राय, वि० वि० स० ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

दिनांक 10/11 जुलाई, 1983 को लगभग 12 बजे रात्रि में 15-20 डकैतों ने श्री रामायाद ठाकुर, ग्राम नेनहा बीरोपुर, थाना सदर, हाजीपुर के घर पर आक्रमण किया,